न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.5/18 दिनांक 5.418

सरकार बनाम टीमा

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का देवता ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली के ख0 न0809 रकबा 1.77है0 किस्म जमीन चारागाह में से0.03 है0 पर टीमा पुत्र सुरजन जाति अहीर निवासी देवता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने सरसों कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल जरीय अधिवक्ता अशोक सैनी उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल द्वारा कोई सबूत साक्ष्य पेश नहीं किये। अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा जबाब गैरसायल का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्व होता है।इस लिये गैर सायल के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः गैर सायल टीमा पुत्र सुरजन जाति अहीर निवासी ओहदा की ढाणी तन देवता तहसील कोटपूतली को वाके ग्रम देवता के आ0ख0न0809/1.77है0किस्म चारागाह मेंसे 0.03 पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर सरसों कास्त को निलाम किया **जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण** करने के आरोप में लगान राशी 0.24रू का पचास गुणा 12रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2018 ... 019 ... के मा० लै० 4
के पृष्ठ संख्या 58 पर 1252
दर्ज कायम किये गये ।
राजस्व लिपिकार
कोटपूतली

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)